By email

दून विश्वविद्यालय, देहरादून

प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय

संख्याः 861/138/डी.ए.ए./23
दिनांक- 4 नवम्बर 2023

अपील संख्या : 60

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19(1)

समक्ष– डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल, प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून

अपीलकर्ताः श्री जगतपाल सिंह, पुत्र श्री सोमपाल सिंह, फोरेस्ट कम्पाउण्ड, रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड–244715

प्रतिवादीः लोक सूचना अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून

आदेश

श्री जगतपाल सिंह, पुत्र श्री सोमपाल सिंह, फोरेस्ट कम्पाउण्ड, रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड– 244715 द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड, केदारपुर, देहरादून को अपीलीय पत्र दिनांक 30.09.2023 प्रेषित किया गया।

उक्त अपील जो प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय में दिनांक 05.10.2023 को प्राप्त हुआ, को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील के रूप में स्वीकार करते हुये अपील संख्या 60 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त अपील पर सुनवायी हेतु 27 अक्टूबर 2023 सांय 4:00 बजे की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुये उभयपक्षों को आदेश संख्या 804/138/DDA/DU/2023 दिनांक 16 अक्टूबर 2023 के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनवायी हेतु उपस्थित होने के आदेश जारी किये गये जिसको कि इमेल के माध्यम से सभी पक्षों को प्रेषित किया गया।

1. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपीलार्थी के प्रतिनिधि श्री सोमपाल सिंह ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुये जिन्हें अपीलार्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.10.2023 के द्वारा अधिकृत करते हुये सूचित किया गया था।
2. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई हेतु प्रतिवादी श्री नरेन्द्र लाल लोक सूचना अधिकारी एवं डा0 रजनीश कुमार, सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुये।
3. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील, सूचना प्राप्त करने के मूल आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2023, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (पत्र स0 715 दिनांक 20.09.2023 संलग्नकों सहित), प्रथम अपीलीय पत्र दिनांक 05 अक्टूबर 2023, लोक सूचना अधिकारी, दून विश्वविद्यालय का लिखित अभिकथन पत्रांक 548/DR/2023 दिनांक 16.10.2023 संलग्नकों सहित तथा अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी के मौखिक अभिकथनों को कार्रवाई हेतु पत्रावली का भाग बनाते हुये प्रक्रिया अपील प्रक्रिया संचालित की गयी। विवरण निम्नानुसार है–

बिन्दु सं0 4

अपीलकर्ता– लोक सूचना अधिकारी द्वारा उन्हें प्रेषित सूचना के बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचना का संलग्नक–4 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रतिवादी– बिन्दु सं0 4 से सम्बन्धित सूचना संलग्नक–3 में उपलब्ध करायी गयी है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी– अपीलकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा इस पर सन्तोष व्यक्त किया गया।

बिन्दु सं0 5 व 6

अपीलकर्ता– सूचना को निजी बताते हुये छिपाया गया है। अतः उन्हें मूल सूचना आवेदन दिनांक 01.09.2023 के बिन्दुओं के अनुसार पूर्ण सूचनायें दी जायें।

प्रतिवादी– क्रमांक 5 व 6 पर मांगी सूचनायें निजी हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8.2 के अधीन यह सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी– लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सूचना पर व्यक्ति से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकारी अधिनियम की धारा 11(1) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन किया जाना चाहिये था तथा तद्नुसार आवेदनकर्ता को सूचित किया जाना चाहिये था। लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे 05 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये धारा 11(1) के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

4. विभागीय प्रथम अपील उपरोक्तानुसार विचार करते हुए निस्तारित तथा निक्षेपित की जाती है।
5. आदेश की प्रति उभयपक्षों को ई–मेल या पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाये।

पत्रावली संचित की जाये।

आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित

दिनांक 27/10/2023

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड़, केदारपुर,
पो0ओ0 अजबपुर, देहरादून
ईमेल registrar@doonuniversity.ac.in
फोन न0 0135-2533136/115

नोट : अपीलार्थी उक्त निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में प्रथम अपील के इस निर्णय के प्राप्ति तिथि से 90 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी वायपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में द्वितीय अपील कर सकते हैं।